अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान

मंगली बनाम सरकार

अन्तर्गत धाराः प्रा0पत्र 136 दुरूस्ती इन्द्राज

प्र0 सं0:—29/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी पेरोकार सरकार अनुपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि व अन्य खाते की नकलों से साबित है कि प्रार्थीया नम्बर 1 मंगली के पति व प्रार्थी नम्बर 2 लगा. 5 के पिता का सही नाम श्रीराम है, लेकिन उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया नम्बर 1 मंगली के पति व प्रार्थी नम्बर 2 लगा. 5 के पिता का नाम सहवन से श्रीया दर्ज हो गया। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 4247, 4248, 4252, 4253, 4314, 4315, 4316, 4319, 4320, 4142, 4143, 4162, 4101, 4102, 4103, 4229, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4249, 4250, 4251, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4348 एवं 4100 वाके ग्राम आलूदा खुर्द तहसील नांगल राजावतान के राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबन्दीयों में दर्ज प्रार्थीया नम्बर 1 मंगली के पति व प्रार्थी नम्बर 2 लगा. 5 के पिता का नाम श्रीया के स्थान पर दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीया नम्बर 1 मंगली के पति व प्रार्थी नम्बर 2 लगा. 5 के पिता का सही नाम श्रीराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान को दिये जाते है। इसी कदर उक्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावें। निर्णय की प्रति पालना हेतु पृथक से तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान	

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतान (दौसा)